

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

जयपुर, दिनांक : 30.12.2011

क. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदस्थापित स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान
1	DR GOVERDHAN SONKHIA	JS GYNAE	CHC	FATEHPUR	SIKAR	DH JHUNJHUNU
2	DR RAJENDRA KUMAR MAHICH	JS TB	CHC	FATEHPUR	SIKAR	TBC PRATAPGARH
3	DR IQRAJ AHMED	UTB	CHC	FATEHPUR	SIKAR	CHC FATEHPUR, SIKAR
4	DR GANGADHAR THALORE	MO	CHC	LAXMANGARH	SIKAR	CHC LAXMANGARH, SIKAR
5	DR SHASHI PRAKASH	MO	CHC	LAXMANGARH	SIKAR	CHC NEEMKATHANA, SIKAR
6	DR RADHEY SHAYAM JANGID	MO	CHC	LOSAL	SIKAR	CHC AJEETGARH, SIKAR
7	DR RAMESH CHANDRA JAIN	JS ORTHO	CHC	NEEMKA THANA	SIKAR	DH ALWAR
8	DR ANIL KUMAR MEENA	JS TB	CHC	NEEMKA THANA	SIKAR	TBC HANUMANGARH
9	DR UDAY BHAN MEENA	JS PAED	CHC	PATAN	SIKAR	DH SIROHI
10	DR GOVIND SINGH THALORE	JS ENT	D.HOSP	SIKAR	SIKAR	CHC NIMBAHERA, CHITTORGARH
11	DR BAJRANG LAL RAD	JS GYNAE	D.HOSP	SIKAR	SIKAR	GH RATANGARH, CHURU
12	DR MAHESH KUMAR	JS PSY	D.HOSP	SIKAR	SIKAR	DH BARAN
13	DR MADAN SINGH	JS PAED	D.HOSP	SIKAR	SIKAR	CHC RAJGARH, CHURU
14	DR REETA VIJAN KAPOOR	SMO	D.HOSP	SIKAR	SIKAR	DH SIKAR
15	DR KIRAN NAGPAL	MO DENT	D.HOSP	SIKAR	SIKAR	CHC DEEDWANA, NAGOUR
16	DR VIJAY KUMAR SHARMA	JS PAED	CHC	SRIMADHOPUR	SIKAR	CHC SHAHBAD, BARAN

विषय:- कारण बताओ नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.12.2011 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कर आपको निर्देश प्रदान किए गए थे कि आप अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.12.2011 तक कार्यग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं इस विभाग को प्रेषित करावें, किन्तु आपने दिनांक 29.12.2011 तक अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर आदेशित किया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.01.2012 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

G

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओं नोटिस आज ही तामील कराकर इस विभाग को अवगत करावें।
5. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेब साईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।

शासन सचिव